

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक  
चिल्डन सीनियर एकेडमी,  
मौहम्मदपुर, मौहनपुरा, दिल्ली रोड,  
रूडकी, जनपद हरिद्वार।


विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के **Annual Clearance** के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर:-10062221, दिनांक: 11.01.2024 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रूडकी द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन रूडकी की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में है तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त भवन/संस्थान एक स्कूल भवन है। भवन में कुल G+3 तल है। जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल 4645.15 वर्ग मी० है तथा उक्त भवन का क्षेत्रफल (Covered Area) 1950.96 वर्ग मी० है। भवन/संस्थान की ऊँचाई 10 मी० है। भवन/संस्थान में बेसमेन्ट नहीं है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक: 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक: 20 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2027 (3 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षक/कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील का स्व-घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य है।
7. यदि उपरोक्त अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिमोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान के किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
9. प्रत्येक 03 माह में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था के मेन्टीनेंस की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक है।
10. प्रभारी अधिकारी, फायर स्टेशन रूडकी के द्वारा सुझाव दिया है कि संस्थान में एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर के सहित 01-01 होजरील एवं टैरिस वाटर टैंक क्षमता 5,000 ली० का प्रावधान 01 माह में कर का प्रावधान किया जाये, उपरोक्तानुसार 01 माह में प्रावधान कर इस कार्यालय को अवगत कराना आवश्यक है, न किये जाने प्रदत्त प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

  
(अभिनव त्यागी)  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
हरिद्वार

प्रतिलिपि: प्रभारी फायर स्टेशन रूडकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।